

मांग संख्या 20
मुख्य शीर्ष 2215

मद क्रमांक 1 से 2

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त केन्द्रांश राशि ₹ 2500.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।